



UPRB010023092019

.न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)–चतुर्थ, रायबरेली।

उपस्थित – श्वेता श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP01639

आपराधिक वाद संख्या-६७/२०१९

सी.आई.एस.नं.-१५५/२०१९

राज्य उत्तर प्रदेश

.....अभियोजन पक्ष

बनाम्

चन्द्रशेखर पुत्र श्रीराम लोध, निवासी ग्राम जमालनगर मोहद्वीपुर, थाना डलमउ, जिला रायबरेली

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या ४९/२०१९

धारा- ३७६ भा.दं.सं. व ५/६ पाक्सो एक्ट व

३(२)(५) एस.सी.एस.टी.एक्ट

थाना – डलमउ, जिला – रायबरेली।

निर्णय

. अभियुक्त चन्द्रशेखर के विरुद्ध पुलिस थाना डलमउ, जिला रायबरेली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या ४९/२०१९, धारा ३७६ भा.दं.सं. व ५/६ पाक्सो एक्ट व ३(२)(५) एस.सी.एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा छेदाना द्वारा दिनांक २४.०२.२०१९ को समय ०९.१० बजे संबंधित थाने पर लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक २३.२.२०१९ को रात लगभग ८ बजे प्रार्थिनी की १२ वर्षीय नाबालिग पुत्री अंजली लघुशंका हेतु घर के पीछे गयी थी। चन्द्रशेखर पीछे से आकर अंजली का मुंह अपने हाथों से दबाकर बबूल की झाड़ियों के अन्दर घसीट कर ले गया और वहां जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद वहीं अंजली को छोड़ भाग गया। किसी तरह अंजली अपने घर आयी और घटना की पूरी जानकारी दी। प्रतिपक्षी के घर प्रार्थिनी ने शिकायत की तो उसके माता पिता लाठी लेकर लड़ाई झगड़ा मारपीट पर अमादा हो गये। प्रार्थिनी हरिजन महिला है।

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध

थाना डलमउ, जिला रायबरेली में मुकदमा अपराध संख्या ४९/२०१९, धारा ३७६ भा.दं.सं. व ५/६ पाक्सो एक्ट व ३(२)(५) एस.सी.एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। जिन्होंने वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा ३७६ भा.दं.सं. व ५/६ पाक्सो एक्ट व ३(२)(५) एस.सी.एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

आरोप विरचित किये जाने के बाद अभियोजन की तरफ से तथ्य के गवाह के रूप में पी० डब्लू० १ छेदाना व पी० डब्लू०-२ पीड़िता को मौखिक साक्ष्य में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से अन्य गवाहों को गवाही से उन्मोचित किये जाने का प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा सबमिट करने पर स्वीकार किया गया। इसी स्तर पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्रदर्श क-१, पीड़िता का बयान अं.धारा १६४ दं.प्र.सं. प्रदर्श क-२, चिकित्सा विधिक परीक्षण आख्या, अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट, नक्शा नजरी, गिरफ्तारी मेमो, आरोपपत्र, पीड़िता का बयान अं.धारा १६१ दं.प्र.सं., चिक एफ.आई.आर. व कायमी जी.डी. आदि अभिलेख दाखिल किये गये हैं।

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना कहा तथा बचाव में कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क किया कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों से अभियोजन ने सम्पूर्ण कथानक को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे पूर्णरूपेण साबित किया है तथा अभियुक्त लगाये गये आरोपों से दण्डित किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्ष्यों में अनेक कमियों का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना के समय कथित पीड़िता बालिग थी और अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है, उसे रंजिशन फंसाया गया है। अभियोजन अपने पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त लगाये गये आरोपों से बरी किये जाने योग्य हैं।

प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह हैं कि—

१. क्या अभियुक्त के द्वारा घटना के दिनांक, समय व स्थान पर पीड़िता की सम्मति के बिना उसके साथ बलात्कार किया गया?

२. क्या अभियुक्त के द्वारा घटना के दिनांक, समय व स्थान पर पीड़िता पर जबरन प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया?

३. क्या घटना के दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा गैर अनुसूचित/जनजाति का सदस्य होते हुए अनुसूचित जाति की वादिनी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करते हुए लैंगिक प्रवेशन कर हमला किया गया?

पी०डब्लू०१ छेदाना ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, 'मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। घटना हुए लगभग एक वर्ष से ज्यादा हो गया है। घटना रात ८ बजे की है। मेरी पुत्री अंजली घटना के समय नाबालिग थी, जिसकी उम्र लगभग १२ वर्ष थी। मेरी पुत्री लघुशंका हेतु घर के पीछे गयी थी। अभियुक्त चन्द्रशेखर पीछे से आकर अंजली का मुँह अपने हाथों से दबाकर बबूल की झाड़ियों के अन्दर घसीट ले गया और वहाँ मेरी पुत्री के साथ जबरन बुरा काम किया और अंजली को छोड़कर भाग गया। मेरी पुत्री आकर घटना की बात मुझसे बतायी। इसकी शिकायत मैंने अभियुक्त के घर वालों से किया तो ये लोग लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार हो गये। मैं थाने गयी। साक्षी ने शामिल पत्रावली तहरीर को देखकर बताया कि यह वही तहरीर है जो मैंने एक आदमी से, जिसका नाम, पता नहीं जानती, से बोल-बोल कर लिखाया था। जो बोला था वही लिखा था। उसने पढ़कर सुनाया था तब मैंने उस पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था। साक्षी ने अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर

प्रदर्श क-१ डाला गया। थाना डलमउ में मुकदमा लिखा दिया गया था। दरोगा जी को घटनास्थल दिखा दिया था। दरोगा जी ने मौके का नक्शानजरी बनाया था। मेरी पुत्री का डाक्टरी मुआयना हुआ था। मेरी पुत्री का बयान पुलिस ने न्यायालय में कराया था।”

पी०डब्लू०२ पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, “घटना दिनांक २३.२.२०१९ की समय रात आठ बजे की है। मैं शौच/लघुशंका के लिए घर के पीछे गयी थी। एक आदमी पीछे से आकर मेरा मुंह अपने हाथों से दबाकर बबूल की झाड़ियों के अन्दर घसीट कर ले गया, जिसे मैं जानती पहचानती नहीं थी, और वहां मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसका नाम मैं नहीं जानती हूं, न ही उसे पहचाना था। अंधेरी रात होने के कारण मैं पहचान नहीं सकी और वह भाग गया। मैंने अपनी मां से घर आकर बताया कि मेरे साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया। मैंने अभियुक्त का नाम अपनी मां को नहीं बताया था। घटना के सम्बन्ध में मेरी मां ने थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी। रिपोर्ट में किसका नाम लिखाया था, मैं नहीं बता सकती। पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया था और मेरा बयान लिया था। उपरोक्त मामले से संबंधित बयान १६४ दं.प्र.सं. न्यायालय की अनुमति से लिखा गया, जिसमें चार अदद कागजात मिले। साक्षी का.सं.१८क/१ धारा १६४ दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने बताया कि जो बयान मैंने मजिस्ट्रेट महोदय के यहां दिया था, वह मैंने पुलिस वालों के बताने के अनुसार दिया था। यह बयान मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया था। साक्षी ने अपनी फोटो की शिनाख्त की तथा अपने निशानी अंगूठे की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क-२ डाला गया।”

न्यायालय के द्वारा उपरोक्त विरचित विचारणीय बिन्दुओं के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा छेदाना के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक को समर्थित किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया गया है कि, वह पढ़ी लिखी नहीं है। उक्त साक्षी की शादी हुए ३० वर्ष हो गये हैं। शादी के दो साल बाद पुत्री (कथित पीड़िता) पैदा हुई थी। तहरीर लिखने वाले से अपनी पुत्री की उम्र १२ वर्ष नहीं बताया था। घटना के समय पुत्री की उम्र १८ वर्ष से ज्यादा थी। तहरीर में १२ वर्ष कैसे लिख दिया, इसकी वजह नहीं बता सकती। लिखने वाले ने तहरीर पढ़कर उक्त साक्षी को नहीं सुनाया था। उक्त साक्षी की पुत्री(कथित पीड़िता) ने अभियुक्त

चन्द्रशेखर का नाम नहीं बताया था। गांव के लोगों के बताने के अनुसार अभियुक्त का नाम लिखा दिया था। (कथित पीड़िता) ने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ बुरा काम किया था। घटना के सम्बन्ध में कथित पीड़िता ने उक्त साक्षी से कुछ नहीं बताया था। साक्षी को धारा १६१ दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने बयान से इन्कार किया व कहा कि दरोगा जी ने यह बयान कैसे लिख दिया, इसकी वजह वह नहीं बता सकती। आज उसकी पुत्री(कथित पीड़िता) की उम्र १९ वर्ष से अधिक है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा उक्त साक्षी से की गयी जिरह में उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में बचाव पक्ष द्वारा की गयी उपरोक्त जिरह के विपरीत कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ अपितु उक्त साक्षी ने यह साक्ष्य दिया कि घटना करने वाले का नाम उसकी पुत्री ने नहीं बताया था। इस समय उसकी पुत्री(कथित पीड़िता) की उम्र १९-२० वर्ष होगी। उसकी पुत्री(कथित पीड़िता) किसी विद्यालय में पढ़ी नहीं है, अनपढ़ है।

कथित पीड़िता द्वारा बतौर पी०डब्लू०२ अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी आयु १९ वर्ष बताते हुए अंधेरी रात होने के कारण अभियुक्त को पहचान नहीं सकने और उसके भाग जाने का तथा अभियुक्त का नाम अपनी मां को नहीं बताने का कथन किया गया है। धारा १६४ दं.प्र.स. के बयान के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि जो बयान उसने मजिस्ट्रेट महोदय के यहां दिया था, वह पुलिस वालों के बताने के अनुसार दिया था। उक्त बयान अपनी मर्जी से पीड़िता ने नहीं दिया था। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा उक्त साक्षी से की गयी जिरह में उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में बचाव पक्ष द्वारा की गयी उपरोक्त जिरह के विपरीत कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ अपितु उक्त साक्षी ने यह साक्ष्य दिया कि उक्त साक्षी पढ़ी लिखी नहीं है। इस समय पूर्ण रूप से बालिग है। घटना के समय भी बालिग थी। धारा १६१ दं.प्र.सं. का बयान पढ़ कर सुनाये जाने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि उक्त साक्षी ने अपने बयान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। चन्द्रशेखर का नाम पुलिस ने बयान में लिखा दिया हो तो उसकी वजह नहीं बता सकती। पुलिस ने उक्त साक्षी से एक सादे कागज पर निशानी अंगूठा लगवा लिया था। अभियुक्त चन्द्रशेखर ने उक्त साक्षी(कथित

पीड़िता) के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अंधेरी रात होने के कारण उक्त साक्षी अभियुक्त को नहीं पहचान सकी।

बचाव पक्ष के द्वारा की गयी जिरह में भी उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर द्वारा उक्त साक्षी के साथ कोई बुरा काम नहीं किये जाने का साक्ष्य दिया गया है।

अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तथ्य के उक्त दोनों मुख्य साक्षीगण, जिनमें स्वयं वादी मुकदमा तथा कथित पीड़िता के द्वारा, पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से इस सम्बन्ध में संदेह है कि कथित घटना के समय कथित पीड़िता १२ वर्षीय नाबालिग रही हो। उक्त दोनों अभियोजन साक्षियों के द्वारा कथित घटना के समय कथित पीड़िता का बालिग होना स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं कथित पीड़िता के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अंधेरी रात होने के कारण अभियुक्त को पहचान न पाने व अभियुक्त चन्द्रशेखर द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित किये जाने से कतई इन्कार किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई युक्तियुक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिल सके। उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में सबल व तार्किक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। स्वयं पीड़िता के द्वारा ही अभियोजन कथानक के कतई विपरीत व विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा इसके अलावा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर ऐसा कोई युक्तियुक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जा सके। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दु अभियोजन कथानक के विपरीत तथा नकारात्मक रूप से साबित होते हैं। तदनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों, कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने गैर अनुसूचित/जनजाति का सदस्य होते हुए अनुसूचित जाति की वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार कर जबरन प्रवेशन लैंगिक हमला किया, को युक्तियुक्त संदेह से परे

सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त लगाये गये उक्त आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त चन्द्रशेखर को धारा ३७६ भा.दं.सं. व ५/६ पाक्सो एक्ट व ३(२)(५) एस.सी.एस.टी.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त यदि अन्य किसी मामले में निरुद्ध न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाए। अभियुक्त का नियमानुसार रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार भेजा जाए। तदनुसार संबंधित आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। धारा ४३७(ए) दं.प्र.सं. के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र अपील के अनुक्रम में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हेतु निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक: १६.०३.२०२०

(श्वेता श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)–चतुर्थ
रायबरेली।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक: १६.०३.२०२०

(श्वेता श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)–चतुर्थ
रायबरेली।